न्यूज़ टुडे

केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए 'वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025-26' की घोषणा की

यह लाइसेंसिंग नीति **नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) नियम, 1985** के तहत हर साल घोषित की जाती है। ये नियम **NDPS अधिनियम, 1985** के तहत बनाए गए हैं।

अफीम के बारे में

- **अफीम पोस्ता (Opium poppy)** के पौधे से **अफीम गोंद (Opium gum) को निकाला** जाता है। इसमें अनिवार्य रूप से **कई एल्केलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन** होते हैं।
- **एल्केलॉइड्स:** प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले **कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक** होते हैं।
- **मॉर्फिन** का उपयोग सामान्यतः **दर्द निवारक दवा** के रूप में किया जाता है, जबकि **कोडीन** का उपयोग **खांसी की दवा (कफ सिरप)** बनाने में किया जाता है।
- इसे **खाद्य योग्य बीज और बीज से तेल** निकालने के लिए भी उगाया जाता है।
- भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसे **यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत** किया गया है।
  - उल्लेखनीय हैं कि **11 अन्य देश** अफीम पोस्ता की खेती करते हैं, लेकिन **अफीम गोंद नहीं निकालते हैं।**

भारत में अफीम की खेती के बारे में

- **NDPS अधिनियम** केंद्र सरकार को अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति देने और इसे **चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों** के लिए विनियमित करने का अधिकार देता है।
- हर साल, केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, जहां अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं और इसके लिए सामान्य शर्तें तय करती है।
  - अफीम की खेती **मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है।
- **वित्त मंत्रालय** के अधीन स्थापित व **ग्वालियर** में स्थित **केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN)** किसानों को अफीम की खेती के लिए **लाइसेंस** जारी करता है।
  - किसानों को **उनके द्वारा उत्पादित पूरी अफीम CBN को सौंपनी** होती है तथा इसकी **कीमत सरकार द्वारा तय** की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने आठ बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी

मंत्रालय ने **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 12** के तहत आठ बाघों के स्थानांतरण को स्वीकृति दी है।

- इस अधिनियम के तहत, **अनुसूची-I** में शामिल जानवरों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्यजीव के लिए राज्य सरकार से **पूर्व अनुमति** लेना अनिवार्य है।
- यदि सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा या दुर्घटना होती है, तो **MoEFCC के पास इस अनुमति को रद्द करने का अधिकार** है।
- इस मंजूरी के तहत **ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व** और **पेंच टाइगर रिजर्व** से आठ बाघों (तीन नर एवं पांच मादा) को **सह्याद्री टाइगर रिजर्व** में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य **उत्तरी पश्चिमी घाट में बाघों की आबादी को फिर से बसाना** है।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने पहले ही इस स्थानांतरण को मंजूरी दे दी थी।

स्थानांतरण के लाभ

- **पारिस्थितिक संतुलन:** इससे कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी-शिकार के संतुलन की पुनर्बहाली होती है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना:** अधिक आबादी वाले रिजर्व में मानव-बाघ संघर्ष में कमी आती है।
- **भू-परिदृश्यों को फिर से वन्यजीवों से आबाद करना:** यह उन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करता है, जहां से बाघ कभी विलुप्त हो गए थे।

स्थानांतरण से जुड़ी चिंताएं: स्थानीय समुदायों का विरोध, जहां बाघों का स्थानांतरण किया जा रहा है वहां मौजूदा बाघों के साथ इलाकों को लेकर संघर्ष, शिकार वृद्धि जैसे खराब वन प्रबंधन, आदि।

सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में

- **अधिसूचना:** इसकी स्थापना **2010 में चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य** को मिलाकर की गई थी।
- **स्थान:** यह महाराष्ट्र में **पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला** में स्थित है।
  - यह **पश्चिमी घाट में बाघों का सबसे उत्तरी पर्यावास** क्षेत्र है।
- **जलाशय:** यहां **कोयना** नदी का **"शिवसागर"** जलाशय और **वारणा** नदी का **"वसंत सागर"** जलाशय स्थित है।
- **वनस्पति:** यहां **अंजनी, जांभूल, पिसा** जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
- **जीव-जंतु:** यहां जंगली कुत्ते, तेंदुए, गौर (इंडियन बाइसन), सांभर, चौसिंगा, माउस डियर, विशाल गिलहरी, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध, स्थानिक हॉर्नबिल और इंडियन रिवर टर्न जैसे जीव-जंतु पाए जाते हैं।

प्रधान मंत्री ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया

यह पोर्टल **भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने** में मदद करेगा। इससे इन्हें आसानी से **एक्सेस** किया जा सकेगा और **सांस्कृतिक ज्ञान को भी संरक्षित** किया जा सकेगा।

- **केंद्रीय बजट 2025-26** में, ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का **सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना** है।

पांडुलिपि (Manuscript) के बारे में

- ये कम-से-कम **75 साल पुरानी कागज, वृक्ष की छाल, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका **वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक** महत्त्व होता है।
- **लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ** पांडुलिपियां नहीं माने जाते हैं।
  - **लिथोग्राफ** एक तकनीक है, जिसमें **पत्थर पर चित्र, अक्षर आदि उकेर कर उसे कागज पर छापा** जाता है।
- भारत के पास **'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड'** जैसी धरोहर है, जिसमें लगभग **1 करोड़ पांडुलिपियां** सुरक्षित हैं। ये **80 प्राचीन लिपियों** में लिखी गई हैं, जैसे **ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेपचा, मैथिली,** आदि।
  - इनमें से लगभग **75% संस्कृत** में तथा **25% क्षेत्रीय भाषाओं** में हैं।
- **इनका महत्त्व:**
  - ये मानव गतिविधियों के **साक्ष्य** प्रदान करती हैं।
  - सदियों तक इनके विनाश के बावजूद ये **ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति पूर्वजों के समर्पण** को दर्शाती हैं।
  - ये समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे **सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक,** आदि पर ज्ञान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए- **कौटिल्य का अर्थशास्त्र।**

पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** इसे **पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय** द्वारा पांडुलिपियों का पता लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए **2003** में शुरू किया गया था।
- **भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता:** यहां लगभग **3600** दुर्लभ और **ऐतिहासिक दृष्टि** से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित हैं।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे **1784 में सर विलियम जोन्स** द्वारा स्थापित किया गया था। अब यह प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य करती है।

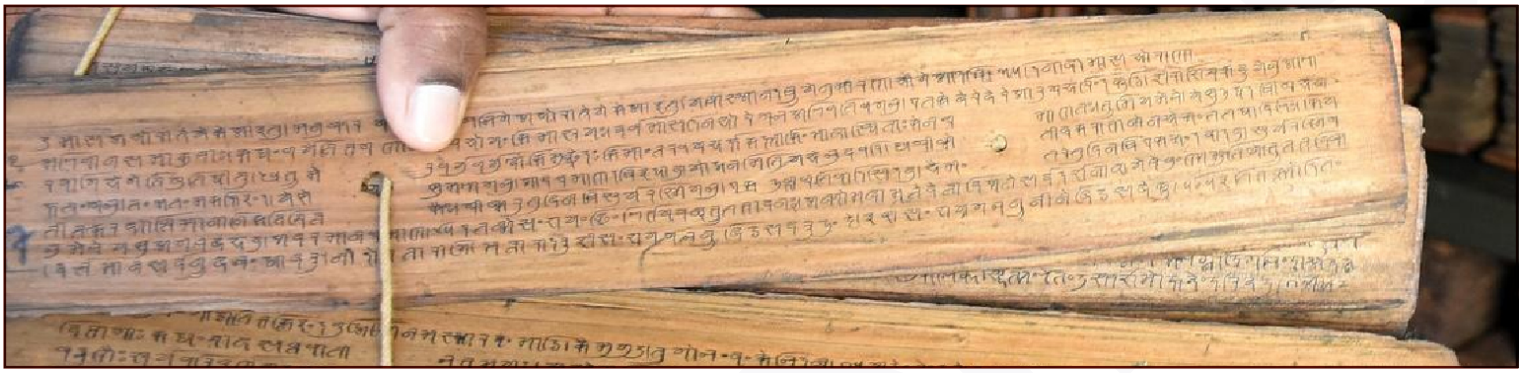

SEBI बोर्ड की बैठक में प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय करने को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपायों को मंजूरी दी गई

SEBI बोर्ड की बैठक में **प्रमुख विनियमों में ढील दी** गई तथा निवेश-अनुकूल माहौल को बेहतर बनाने और विनियामक जटिलता को कम करने के लिए **SWAGAT-FI फ्रेमवर्क** पेश किया गया।

SEBI बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय

- **SWAGAT-FI फ्रेमवर्क:** SEBI ने **सिंगल विंडो ऑटोमैटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स (SWAGAT-FI) फ्रेमवर्क** पेश करने की मंजूरी दी, जो **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (FVCIs)** के लिए है।
  - FPIs सार्वजनिक बाजारों में लिस्टेड प्रतिभूतियों **(जैसे- इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव, आदि)** में निवेश करते हैं, जबकि FVCIs **वेंचर कैपिटल फंड** में निवेश करते हैं।
- **इंडिया मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म:** इसे एक **डिजिटल गेटवे** के रूप में लॉन्च किया गया है। यह भारत के शेयर बाजारों में **विदेशी निवेशकों के लिए सहज प्रवेश और अनुपालन की सुविधा** प्रदान करेगा।
- **रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) का इक्विटी के रूप में पुनर्वर्गीकरण:** यह **म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा REITs में निवेश को बढ़ाने** में सक्षम करेगा।
  - REITs व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर, **आय-सृजक रियल एस्टेट में निवेश** करने की अनुमति देते हैं।
- **बड़े जारीकर्ताओं (issuers) के लिए IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) मानदंडों में ढील** दी गई। साथ ही, जारीकर्ताओं के लिए **न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई** गई।
  - IPO का अर्थ है, जब कोई **कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती** है और यह **स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए एक अनिवार्य शर्त** है।

- **वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) योजनाओं की एक अलग श्रेणी** पेश की गई, जो अनन्य रूप से केवल **प्रत्यायन प्राप्त निवेशकों (Accredited investors: AI)** के लिए है।
  - **प्रत्यायन प्राप्त निवेशक** एक ऐसा व्यक्ति या कंपनी है, जो **विशिष्ट आय, नेट वर्थ या पेशेवर योग्यता मानदंडों को पूरा** करता/ करती है। इससे उन्हें **SEBI के साथ पंजीकृत नहीं होने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति** मिलती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उन आवासीय परियोजनाओं को समाप्त होने से बचाने के लिए कई सुझाव दिए, जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं।

- **आवास के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार** के व्यापक दायरे के अंतर्गत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

भारत में आवास क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **किफायती आवास का घटता हिस्सा:** 2018 में आधे से अधिक नई परियोजनाएं किफायती घरों के लिए थीं, लेकिन अब इनकी हिस्सेदारी केवल 17% रह गई है।
- **रुकी हुई परियोजनाएं और प्रणालीगत मुद्दे: रियल एस्टेट डेवलपर्स** द्वारा **वित्तीय कुप्रबंधन** के कारण 44 शहरों में 5 लाख से अधिक घर अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं।
- **भूमि की ऊंची कीमत:** भारत की कुल जमीन का केवल 0.2% हिस्सा ही दस बड़े शहरों में है, जबकि वहां जमीन बहुत महंगी है।
- **रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) नियमों में एकरूपता का अभाव:** राज्य-विशेष नियमों के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

- केंद्र सरकार **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) के तहत एक पुनरुद्धार कोष** की स्थापना कर सकती है। साथ ही, **किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (SWAMIH/ स्वामी) कोष का विस्तार** करने पर विचार कर सकती है।
- रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए NARCL के समान एक **कॉर्पोरेट निकाय का गठन** किया जाना चाहिए।
- राज्यों में **RERA (रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016) नियमों** में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **हाई कोर्ट** के एक **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** की अध्यक्षता में एक **समिति के गठन** का निर्देश भी दिया गया।

अन्य सुर्ख़ियां

व्यक्तित्व का अधिकार (Personality Rights)

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता **अभिषेक बच्चन** के 'व्यक्तित्व के अधिकारों' की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को उनके **चित्र, नाम, आवाज** या उनके व्यक्तित्व के अन्य तत्वों का **बिना अनुमति या सहमति के व्यावसायिक लाभ** के लिए उपयोग करने से रोका गया है।

'व्यक्तित्व के अधिकार' क्या होते हैं?

- **'व्यक्तित्व का अधिकार'** एक व्यक्ति को उसकी **व्यक्तिगत पहचान** के **व्यावसायिक उपयोग** पर **अनन्य अधिकार** प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति का **नाम, चित्र, आवाज, व्यवहार** और उनके **अन्य विशिष्ट गुण** शामिल होते हैं।
- भारत में व्यक्तित्व के अधिकारों को किसी **विशिष्ट कानून** के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें **आम कानून**, संविधान के **अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार)** और **बौद्धिक संपदा कानूनों** के माध्यम से **संरक्षित किया गया है।**

एम-किसान (m-Kisan)

एम-किसान का लाभ **13 राज्यों** के लगभग **3.8 करोड़ किसानों** को मिल रहा है।

एम-किसान के बारे में

- यह एक **SMS पोर्टल** है। यह केंद्र और राज्य सरकार के सभी कृषि और संबंधित विभागों को किसानों तक उनकी भाषा में कृषि पद्धतियों की प्राथमिकता और लोकेशन के अनुसार जानकारी, सेवाएं और सलाह SMS के माध्यम से पहुँचाने में सक्षम बनाता है।
- **शुरू करने वाला मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW)।

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के पक्ष में वोट दिया है। यह **डिक्लेरेशन फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान** और **दो-राष्ट्र समाधान (Two-state solution)** के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में

- इस डिक्लेरेशन में **गाजा में तत्काल युद्ध-विराम** की मांग की गई है तथा एक **स्वतंत्र, संप्रभु और आर्थिक रूप से सक्षम फिलिस्तीनी राष्ट्र** की स्थापना की बात कही गई है।
- इसमें **हमास का निरस्त्रीकरण** और **ग़ाज़ा की शासन-व्यवस्था** से उसका अलग होना; इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों का सामान्यीकरण; तथा सामूहिक सुरक्षा की गारंटी शामिल हैं।

बैराबी-सैरांग रेल लिंक

प्रधान मंत्री ने बैराबी-सैरांग लिंक का उद्घाटन किया, जो मिजोरम की राजधानी **आइजोल** को पहली बार **भारतीय रेलवे नेटवर्क** से जोड़ता है।

बैराबी-सैरांग रेल लिंक के बारे में

- **रेल कनेक्टिविटी से अनाज, उर्वरक** और अन्य **आवश्यक वस्तुओं की** समय पर और नियमित रूप से आपूर्ति हो सकेगी। इससे **लॉजिस्टिक दक्षता** और **क्षेत्रों के बीच आवागमन** में सुधार होगा।
- यह **अस्पतालों, विश्वविद्यालयों** और **बाजारों** तक कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा, जिससे **शैक्षिक, सांस्कृतिक** और **आर्थिक संबंधों** को मजबूत किया जा सकेगा।

सिकाडा (Cicadas)

सिकाडा, अब **केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क** में फिर से देखें गए हैं।

सिकाडा (हेमिप्टेरा: सिकाडोइडिया) के बारे में

- ये कीटों का एक प्रमुख समूह हैं, जो ज्यादातर **गर्म** और **समशीतोष्ण क्षेत्रों** (बायोम) में पाए जाते हैं।
- सभी सिकाडा प्रजातियों का जीवन चक्र तीन चरणों में होता है: **अंडा, निंफ (larva), वयस्क (Adult)**।
- वयस्क मादा सिकाडा आमतौर पर अपने अंडे **लकड़ी वाले पौधों** के तंतुओं में देती हैं।
- ये बहुत तेज आवाज करते हैं, जो इनकी अधिकतर प्रजातियों में **ड्रम जैसे टिम्बल्स** की तीव्र बकलिंग और अंबकलिंग से उत्पन्न होती है।

भारतीय तटरक्षक बल

भारत ने रोम में आयोजित **चौथे 'वैश्विक तटरक्षक बल शिखर सम्मेलन (Coast Guard Global Summit)'** में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत ने 2027 में इसके अगले संस्करण की मेजबानी करने का प्रस्ताव भी रखा।

भारतीय तटरक्षक बल के बारे में

- **स्थापना:** 1977 में
- **मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।
- **मुख्य कार्य (मिशन):**
  - हमारे समुद्र और समुद्री संसाधनों (जैसे तेल, मछली और खनिज) की सुरक्षा करना।
  - संकट में फंसे नाविकों की मदद करना और समुद्र में जीवन व संपत्ति की रक्षा करना।
  - विशेष रूप से अवैध शिकार, तस्करी और नशीले पदार्थों के तस्करी से संबंधित मामलों में समुद्री कानूनों को लागू करना।
  - समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करना तथा दुर्लभ प्रजातियों को बचाना।
  - वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठा करना और युद्ध के समय नौसेना की मदद करना।
- **आदर्श वाक्य:** "वयं रक्षामः"।

एडीज मच्छरों से फैलने वाले वायरल रोग (ABVD)

हाल के अध्ययनों के अनुसार, **फॉगिंग** के तहत रसायनों का छिड़काव **एडीज मच्छरों से फैलने वाले वायरल रोगों (ABVD)** को नियंत्रित करने में ज्यादा असरदार होता है। सबसे अच्छा तरीका **व्यक्तिगत सुरक्षा और समुदाय** की भागीदारी है।

ABVD के बारे में

- ABVD **एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस नामक एडीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं।**
- बाकी मच्छरों से अलग, एडीज मच्छर दिन के समय ही काटते हैं। इनकी सक्रियता सुबह जल्दी और शाम को सूरज ढलने से पहले सबसे ज्यादा होती है।
- ऐसे रोगों में **डेंगू, ज़िका, चिकनगुनिया और येलो फीवर** वायरस शामिल हैं।

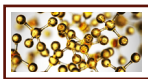

गोल्ड नैनोपार्टिकल्स

एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने गोल्ड नैनोपार्टिकल्स के जमाव (Aggregation) को नियंत्रित करने का तरीका खोजा है।

गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (AuNPs) के बारे में

- AuNPs सोने के नैनोकण होते हैं। इनका आकार आमतौर पर **1–100 नैनोमीटर** के बीच होता है।
- **विशेषताएँ:** फोटोथर्मल गुण, रासायनिक और भौतिक स्थिरता, कम विषाक्तता और सरफेस क्षेत्र में आसानी से बदलाव करने की क्षमता।
- **महत्त्व:**
  - **बायोसेंसर, इमेजिंग, डायग्नॉस्टिक्स और शरीर के भीतर दवा पहुंचाने में उपयोगी,** लेकिन अनियंत्रित जमाव (aggregation) से इनकी प्रभावशीलता घट जाती है।
  - ये **मूलभूत नैनोसाइंस, तथा प्रकाश और पदार्थ (light–matter) की परस्पर अभिक्रिया से जुड़े अध्ययनों** में योगदान देते हैं।

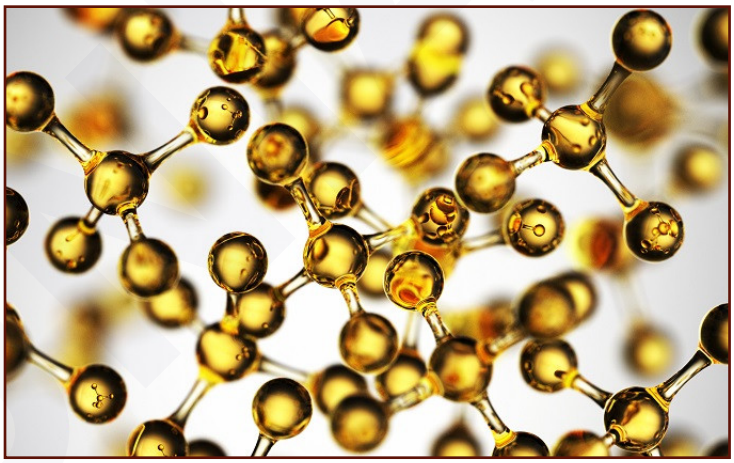

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

NEWS

रूस (राजधानी: मास्को)

रूस के **कामचटका प्रायद्वीप** में एक प्रबल भूकंप आया। कामचटका प्रायद्वीप पूर्व में **बेरिंग सागर** और **प्रशांत महासागर** तथा पश्चिम में **ओखोटस्क सागर** के बीच अवस्थिति है।

भौगोलिक अवस्थिति

- रूस एशिया और यूरोप, दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार, **यह दुनिया का सबसे बड़ा देश** है।
- **सीमावर्ती देश:** अज़रबैजान, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, जॉर्जिया, कज़ाख़िस्तान, उत्तर कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन।
- **सीमावर्ती जल निकाय:** प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर।

भौगोलिक विशेषताएं

- **प्रमुख पर्वतमालाएं:** यूराल, अल्ताई।
- **सबसे ऊँची चोटी:** गोरा एलब्रुस (यूरोप का सबसे ऊँचा स्थान)।
- **प्रमुख नदियां:** येनिसे-अंगारा, अमूर, इरतीश, लीना।
- **प्रमुख झीलें:** बैकाल, लादोगा, ओनेगा, कैस्पियन सागर, आदि।
- **साइबेरिया** रूस के **तीन-चौथाई हिस्सा** पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से **टैगा वन** प्राप्त होते हैं।